कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी

प्रेस-नोट

दिनांक:-02.11.2023

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अभियोग के अभियुक्त दीपक कुमार को चोरी के मामले में मा0 न्यायालय द्वारा पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि व कुल 02 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया

थाना-लंका में पंजीकृत मु0अ0सं0- 828/2020 धारा- 379/411 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त **दीपक कुमार पुत्र सत्येन्द्र कुमार निवासी ग्राम अकोदी मोहनिया भभुआ बिहार** को थाना लंका पुलिस व मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 02.11.2023 को मा0 न्यायालय ASJ(JD)-06 जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त दीपक कुमार उपरोक्त को धारा- 379 भादवि में जेल में बिताई गई अवधि व 01 हजार रुपये का अर्धदण्ड तथा धारा-411 भादवि में जेल में बिताई गयी अवधि व 01 हजार रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 05-05 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सभी सजाये एक साथ चलेगी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
जोन-काशी कमिश्नरेट-
वाराणसी